

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 54/2024 - निगरानी

1. रतनलाल पुत्र शंकर लाल माली निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा बनाम
1. देवी सिंह रावत पुत्र खेमा सिंह रावत निवासी मोमी ग्राम पंचायत गुरलां तहसील भीलवाडा
 2. ग्राम पंचायत गुरला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गुरला पंचायत समिति सुवाणा
 3. ग्राम पंचायत गुरला जरिये ग्राम विकास अधिकारी/सचिव ग्राम पंचायत गुरला पंचायत समिति सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा

-निगराकार

- गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध
ग्राम पंचायत गुरलां पंचायत समिति सुवाणा मिसल संख्या 68 दिनांक 19.6.2021
से जारी पट्टा संख्या 20 दिनांक 24.05.2022

उपस्थित -

1. श्री पृथ्वीराज चौधरी अधिवक्ता - निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 24.10.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार 2 व 3 द्वारा गैर निगराकार 1 के पक्ष में आबादी हल्का मोमी ग्रा0प0 गुरलां में प्रश्नगत पट्टा नपती 27 बाई 56 फीट का जारी किया गया है, जो कि आबादी भूमि नहीं होकर आराजी नम्बर 201 गै0मु बरसाती नाला की भूमि है। जिसका पट्टा आबादी भूमि में नहीं होते हुए भी जारी किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। गैर निगराकार 2 व 3 द्वारा विधि विरुद्ध रूप से बिना मौके पर जांच पडताल किए व बिना किसी प्रकार से आम सूचना प्रकाशित किए उक्त पट्टा जारी किया जो अपास्त होने योग्य है। निगराकार को दिनांक 10/10/2024 को नाला की भूमि पर गलत तरीके से पट्टे की जानकारी होने पर निगराकार द्वारा गैरनिगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी तथाकथित पट्टे की प्रमाणित प्रति प्राप्त की, तब निगराकार को गैर निगराकार संख्या एक को रास्ते की भूमि पर पट्टा प्राप्त कर लेने की जानकारी हुई। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 142 से 157



Dr
24.10.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। इस कारण से पट्टा विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत गैर निगराकार संख्या 2 ने नियम 147-148 की पालना भी विधिवत नहीं की, न ही कोई ग्राम पंचायत गुरलां व ग्राम मोमी में पट्टेशुदा भूमि की सूचना बस स्टेण्ड या सहज दृश्य स्थान पर लगवायी गई, न ही दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के उसे ऐसे लगाए जाने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करवाए गए। गलत पट्टे की जानकारी प्राप्त होते ही, ग्राम पंचायत से नकले प्राप्त कर, उक्त निगरानी अविलंब पेश की जा रही है। पट्टा जारी होने की दिनांक से उक्त निगरानी पेश करने में हुई देरी के समय को कण्डोन फरमाया जाने हेतु धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार संख्या 2 व 3 द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 पक्ष में जारी किया गए पट्टे को निरस्त फरमाया जाए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 बावजूद सूचना के अनुपस्थित हैं। विपक्षी संख्या 01 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती हैं। प्रकरण में निगराकार अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम निगरानी में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये निगरानी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि गैर निगराकार 2 व 3 द्वारा गैर निगराकार 1 के पक्ष में आबादी हल्का मोमी ग्रा0पं0 गुरलां में प्रश्नगत पट्टा नपती 27 बाई 56 फीट का जारी किया गया है, जो कि आबादी भूमि नहीं होकर आराजी नम्बर 201 गै0मु बरसाती नाला की भूमि है। जिसका पट्टा आबादी भूमि में नहीं होते हुए भी जारी किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। गैर निगराकार 2 व 3 द्वारा विधि विरुद्ध रूप से बिना मौके पर जांच पडताल किए व बिना किसी प्रकार से आम सूचना प्रकाशित किए उक्त पट्टा जारी किया जो अपास्त होने योग्य



24.10.25
अति. जिला कलक्टर
मीलवाड़ा

है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। इस कारण से पट्टा विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार संख्या 2 व 3 द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 पक्ष में जारी किया गए पट्टे को निरस्त फरमाया जाए।

प्रकरण में बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत संवत् 2069-2073 की जमाबंदी अनुसार आराजी संख्या 201 की किस्म गै.मु. नाला दर्जशुदा हैं। प्रश्नगत पट्टे के संबंध में ग्राम विकास अधिकारी गुरलां द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार प्रश्नगत पट्टा गै.मु. नाले पर अवस्थित हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत गुरलां द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों के विपरीत जाकर उक्त प्रश्नगत पट्टा जारी किया है जो निरस्त किये जाने योग्य ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियमों की उल्लंघना कर गैर निगराकार संख्या 01 को विधि विरुद्ध तरीके से पत्रावली संख्या 68 से पट्टा संख्या 20 दिनांक 24.05.2022 जारी किया गया वह प्रारब्ध से ही शून्य होने से खारिज योग्य ठहरता है एवं विधि विपरीत पट्टे को खारिज किया जाना न्यायहित व राज्य हित में है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव—

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत गुरलां पंचायत समिति सुवाणा द्वारा पत्रावली संख्या 68 से जारी पट्टा संख्या 20 दिनांक 24.05.2022 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत गुरलां पंचायत समिति सुवाणा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Dr. 24.10.25
(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा